सं0 I/ /2025–ई0 62567

प्रेषक,

डी0एम0एस0राणा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक सितम्बर, 2025

विषय :– जनपद चमोली की कर्णप्रयाग शाखा के अन्तर्गत उत्तरों बाजार मिनी नलकूप (आर0बी0एफ0 तकनीक) एवं तत्संबंधी कार्यों की योजना की अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0 2080/वि0अनु0/02/शा0अनु0/2025–26 दिनांक 30 जून, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर के अन्तर्गत ''रीवर बैंक फिल्ट्रेशन तकनीकी पर विभिन्न निष्क्रिय श्रोतों के जीर्णोद्वार हेतु अनुदान मद (ग्रामीण)'' में शासनादेश सं0 I/184410/2024 दिनांक 24 जनवरी, 2024 द्वारा जनपद चमोली की कर्णप्रयाग शाखा के अन्तर्गत उत्तरों बाजार मिनी नलकूप (आर0बी0एफ0 तकनीक) एवं तत्संबंधी कार्यों की योजना (कुल स्वीकृत लागत रू0 150.89 लाख) हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 33.91 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 116.98 लाख के सापेक्ष रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से संबंधित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड को धनराशि के आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 80 प्रतिशत से अधिक हो अथवा कार्य पूर्ण होने की स्थिति में हो, के अनुसार आवंटित की जाए।

(v) योजना का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जाए। योजना की अनुमोदित लागत से अधिक आवंटन कदापि न किया जाए।

(vii) उक्तानुसार चालू योजना पर धनावंटन/व्यय करने के निमित्त योजना की स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश में विहित अन्य समस्त शर्तें यथालागू हैं, का अनुपानल सुनिश्चित किया जाए।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान सं0 13 के लेखाशीर्षक 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–09– रिवर बैंक फिल्ट्रेशन तकनीक पर विभिन्न निष्क्रिय स्रोतों के जीर्णोद्वार हेतु अनुदान–00–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

3. प्रश्नगत धनराशि, आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-

79713/09(150)2019/XXVII(1)2025 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के दिशा–निर्देश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025 दिनांक 31.03.2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 10-09-2025
14:39:15

(डी0एम0एस0राणा)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0– /ई0 62567/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Digitally signed by
Vivek Kumar Jain
Date: 10-09-2025
14:44:05

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।